अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 492/2012

मो० शोहराब खॉ एवं अन्य — अपीलार्थीगण

वनाम

वसीला खातुन — रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद मो० शोहराब खॉ द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर सहरसा, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 19.10.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 74/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद में मौजाः सहरसा, थाना नं०: 189 अंचलः कहरा, जिलाः सहरसा के खाता नयाः 674, खेसरा नयाः 1286 क, ख, ग, घ वो खेसरा 1287 क, ख, ग, घ, च, छ अंतर्गत कुल रकवाः 3.55 अर से संबंधित भूमि विवादी प्रश्नगत भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि खाता नयाः 674, खेसरा नयाः 1286 क, ख, ग, घ, वो खेसराः 1287 क, ख, ग, घ, च, छ की भूमि पर अपीलार्थी/विपक्षी का घर मकान है, जिसका निम्न न्यायालय द्वारा बिना स्थलीय जाँच कराये गलत आदेश पारित किया गया है। विपक्षी/आवेदिका के गलत ढंग से अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति एवं जबाब दाखिल करने की कथन आदेश में है जबकि अपीलार्थी/विपक्षी के उपर कोई कोर्ट सूचना तामिल किया ही नहीं गया और न ही उक्त वाद की कुछ भी जानकारी अपीलार्थी/विपक्षी को था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय ने घर मकान की जमीन का बिना स्थलीय जॉच कराये गलत

आदेश पारित किया है जबकि अपीलार्थी/ विपक्षीगण का घर मकान विवादी भूमि पर है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में खतियानी रैयत के सभी वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया तथा झूठा अर्जी बनाकर अपीलार्थीगण/विपक्षी जमीन को हड़पने की नियत से गलत वाद दाखिल किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि खतियानी रैयत मो० सोहराब खॉ पिताः स्व० असमत खॉ वो शेख नजीर खॉ के लड़के मो० वजीर खॉ वो मो० मुजीर खॉ वो मो० मुर्शीद खॉ पिताः स्व० शेख नजीर खॉ वो वाजिद अली की लड़की मेहरून निशा पिताः मो० नशीर उद्दीन पिताः स्व० वाजिद अली वो सलामत के लड़के मो० अल्लाउद्दीन पिताः स्व० सलामत अपील वाद में अपीलार्थीगण हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में विपक्षी/आवेदिका वहाब खॉ वो वाजिद अली की पुत्री को पक्षकार जानबुझ कर नहीं बनाया जबकि सभी अपीलार्थी/विपक्षीगण का घर मकान प्रश्नगत भूमि पर मौजूद है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में विपक्षी/आवेदिका ने खाता पुरानाः 1546, खेसरा पुरानाः 2338 एवं 2639 की भूमि केवाला नंः 2625 दिनांकः 10.02.1972 नविस्ते सलामत खॉ वगैरह बहक मो० जसीम, रकवाः 03 कट्ठा खरीदगी थी जिस पर विपक्षी/आवेदिका का घर मकान है तथा हाल सर्वे के दौरान खरीदगी भूमि का खाता नयाः 481, खेसरा नयाः 1191क, ख, ग, घ बनने को स्वीकार किए हैं, लेकिन निम्न न्यायालय के समक्ष खाताः 481 का कोई खतियान दाखिल नहीं कर रकवा का जिक्र नहीं कर अपीलार्थी/विपक्षी के घर–मकान की भूमि को गलत वो फर्जी ढंग से हथियाने की नियत से झूठा मोकदमा कर आदेश पारित करवायी है, जिस आदेश की कुछ भी पायबंदी अपीलार्थी/विपक्षीगण को नहीं है, जबकि विपक्षी के नाम गलत खाताः 335, खेसरा नयाः 1192 रकवाः 11.55 अंश बीवी वसीला खातुन पतिः मो० जसीम वो खाता नयाः 198, खेसरा नयाः 1191 क, ख, ग, घ रकवाः 2.60 अर मो० जसीम उद्दीन और मो० सिराजउद्दीन के नाम इन्द्राज है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/विपक्षीगण के वारिसानों के द्वारा की गयी केवाला दिनांकः 10.02.1972 ई० की चौहद्दी के दक्षिण में नीज मकान दर्ज किया है, जिस मकान मय सहन की भूमि का हाल सर्वे इन्द्राज अपीलार्थी/विपक्षीगण के नाम सही खुला है, जिसका अपीलार्थी/विपक्षीगण दखल कब्जा अद्यतन है। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश बिना कोई सूचना अपीलार्थी/विपक्षीगण पर तामिल कराये पारित आदेश है जो विधि के विपरीत है जिसे रद्द करने के योग्य बतलाते हैं।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में हाल सर्वे खतियान खाता नया 198 खेसरा नया 1191 जिसका क,ख,ग, नामे मो0 जसीमउद्दीन पिता मो0 सिराजउद्दीन रकबा 2.60 अर एवं हाल सर्वे खतियान खाता नया 335 खेसरा नया 1192 रकबा 11.55 अर नामे बीबी वसीला खातुन पति मो0 जसीमउद्दीन दाखिल किए हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपील की कंडिका–1 मे वर्णित अभिकथन की अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत उत्तरवादी गलत ढंग से आदेश पारित करवा लिया है, ऐसा कहना सरासर गलत है, जबकि अपीलार्थीगण अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब दाखिल किया था और सुनवाई के पश्चात प्रश्नांकित आदेश पारित किया गया बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में आगे यह भी

कथन करते हैं कि अपील की कंडिका –2 में वर्णित यह अभिकथन गलत है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का घर मकान है, जबकि सच यह है कि विवादित भूमि पर उत्तरवादी का पक्का वो खपड़ा मकान, ऑगन–सहन , बाड़ी आदि अवस्थित है, जो हाल सर्वे खतियान में भी दर्ज होना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित भूमि उत्तरवादनी वसीला खातुन के पति जसीमउद्दीन निबंधित दस्तावेज संख्या 2625/1972 ई में निबंधित दस्तावेज के द्वारा खरीद किये वे जिस पर वे खरीदगी के समय से हकदार वो दखलकार चले आ रहे थे तथा पक्का वो खपड़ापोश मकान, ऑगन तथा वाउण्ड्री बाल से घेरकर उत्तरवादी सपरिवार भोग तसरूफ करती आ रही है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि उत्तरवादिनी के पति जसीमउद्दीन के नाम से सहरसा नगरपालिका में विवादित भूमि का मोटेशन हुआ तथा 1976–77 से होल्डिंग टैक्स रसीद प्राप्त होता आ रहा हैं, जिससे सावित होता हैं कि उत्तरवादनी एव उनके पति का विवादित भूमि पर 35–36 वर्षो से दखल कब्जा चला आ रहा है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित भूमि पर 1972 ई0 से पूर्व उत्तरवादनी के पति के भेंडर सफावत खॉ, सियामत खॉ वो गणिमत अली खॉ का हकीयत वो दखल कब्जा चला आ रहा था।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का एक क्षण के लिए भी हकीयत वो दखल कब्जा नहीं रहा है तथा उनके नाम से हाल सर्वे का खाता गलत खुल गया था।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपील में वर्णित अपीलार्थीगण के ओरोपों को उत्तरवादनी साफ –साफ तौर से अस्वीकार और नामंजुर करती हैं। सच यह है कि वाद संख्या 74/12 की जानकारी अपीलार्थीगण को शुरू से थी और विवादित जमीन उत्तरवादनी के दखल कब्जे में 1972 ई0 से हैं जिस पर उसका घर मकान वो सहन हैं एवं बाउण्ड्रीवाल दिया हुआ है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी संख्या–1 सोहरात खॉ उर्फ सोहाब खॉ निबंधित दस्तावेज संख्या 2625/72 दिनांक 10.02.72 पर गवाह भी बना है लिहाजा उन्हें अपील दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थीगण को विवादित भूमि से कोई हक सरोकार नहीं है और ना ही एक क्षण के लिए भी उस पर उनका दखल कब्जा ही रहा है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थीगण अपील के कंडिका नं0– 09 में वर्णित अभिकथन में उत्तरवादिनी के पति जसीम द्वारा केवाला नं0 2625 दिनांक 10.02.72 द्वारा खरीद (विवादित भूमि) अस्वीकार करते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि से संबंधित कोई भी सबूत ना तो न्यायालय में पेस किये हैं और ना ही अपील में इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन्हें प्रश्नांकित भूमि किस प्रकार प्राप्त है सिर्फ खाता खुल जाने के आधार पर अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर दावा करते हैं तथा आदेश हो जाने के बाद गलत मनसा से वे लोग उत्तरवादनी से कुछ रकम ऐंठना चाहते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि उत्तरवादनी के पति के मृत्यु के बाद इनके घर में अब

कोई पुरूष सदस्य नहीं रहा है, जिसका फायदा अपीलार्थीगण लेकर दबाव बनाना चाहते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रस्तुत अपील किसी भी रूह से चलने लायक नहीं है वो विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.12 बिल्कुल जायज उचित वो वैधानिक है तथा सबूत पर आधारित है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात अवलोकनोपरांत पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायाचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,	आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा	कोशी प्रमंडल, सहरसा